



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2025/1478
प्रति,

दिनांक :- 02-6-2025

प्राचार्य,
संत सिंगाजी इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट
ग्राम-संदलपुर, तह.-खातेगांव, जिला-देवास।

विषय :- महाविद्यालय की सत्र 2025-26 की सम्बद्धता-निरंतरता बाबत।

- संदर्भ :-**(1) म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल का अनापत्ति/अनुमति आदेश क्रमांक/291/आउशि/सम्बद्धता/2025, भोपाल, दिनांक 16.05.2025 (स.क्रं.07)
- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का एप्रुव्ड पत्र क्रमांक/F.No.Central/1-44644363876/2025/EOA, Date Of Approval : 20-Mar-2025
- (3) महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक REN 12405743 Date 28.02.2025
- (4) महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.03.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.05.2025 के निर्णय के अनुपालन में महाविद्यालय की सत्र 2025-26 में निम्न पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए.	120
02.	बी.सी.ए.	120
03.	बी.कॉम.(आ.पा.,कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट)	60
04.	बी.एससी.(आ.पा., कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी)	240

- नोट :-**(1) महाविद्यालय का दिनांक 10.09.2024 को निरीक्षण किया गया, निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसानुसार कमियों की पूर्ति हेतु महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/303, दिनांक 20.02.2024 को पत्र प्रेषित कर 03 माह में पूर्ति करने हेतु सूचित किया गया था। महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक कमियों की पूर्ति कर सूचित नहीं किया गया है। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य/समिति सदस्य द्वारा रु. 100/- के स्टैम्प पर (नोटवाईज्ड करवा कर) अभिवचन करें कि, वे 03 माह में पूर्ति कर देंगे। पूर्ति न कर पाने की स्थिति में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विरुद्ध निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।
- (2) सत्र 2017-18 में जमा किये गये सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क पर देय 18% GST पेनल्टी सहित तत्काल जमा करावे।
- (3) सत्र 2018-19 या इसके पूर्व से 2022-23 तक महाविद्यालय का निरंतरता शुल्क जमा नहीं किये जाने के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही लंबित है। इस संबंध में नियमानुसार जो भी निर्णय होगा वह महाविद्यालय को मान्य करना होगा।
- (4) सत्र 2025-26 हेतु शुल्क विनियामक आयोग का अनुमति/एप्रुव्ड पत्र सात दिवस में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिविधि :-

01. सचिव, श्री संतसिंगाजी एज्युकेशनल सोसायटी, ग्राम-संदलपुर, तह. -खातेगांव, जिला-देवास।
02. आयुक्त, माध्यम प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली।
04. कार्यालय, अध्यापक कौशलवर्धन समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा परिषद्, माध्यम प्रदेश टेगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स भोपाल।
05. सचिव, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग, भोपाल।
06. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
07. प्राचार्य, शा.के.पी.स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय, देवास।
08. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
09. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
10. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनाएं प्रेषित।


 सहाय कुलसचिव(अकादमिक)